सं. 36036/3/2018-स्था.(आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना (आरक्षण-I) अनुभाग
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का पुन: उल्लेख करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 24.09.1968 के का.ज्ञा.सं. 27/4/67(II)(स्थापना)(एससीटी) के माध्यम से जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 45 दिनों से कम अवधि वाली नियुक्तियों को छोड़कर सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण प्रदान किया जाना है।

2. माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इस विभाग के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि दिनांक 24.09.1968 का कार्यालय ज्ञापन काफी पुराना है और इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अनुदेशों को फिर से अवश्य दोहराया जाना चाहिए। अत: यह दोहराया जाता है कि केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में 45 दिनों से अधिक की अवधि वाली अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

राजू सारस्वत
(राजू सारस्वत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष :- 23092110

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-I, भीकाजी कामा पैलेस, दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
8. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग।
9. निदेशक, आईएसटीएम, पुराना जेएनयू कैम्पस, ओल्फ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110067
10. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
11. एनआईसी (डीओपीटी) इस कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।